न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 148/2016

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. विदिया देवी पत्नि सुखाराम जाति जाट, निवासी डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर(राज0)	1.	भंवरलाल पुत्र पोलाराम, जाति जाट, निवासी राजोलाकलां, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)
	2.	राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, सोजत, जिला पाली (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. **श्री बी.एल.गोरा , भानु कुमार जांगिड़ एवं कुन्दनमल मालवीय अधिवक्ता प्रार्थीगण ।**
2. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।**

—: निर्णय :— **दिनांक :—08.01.2018**

अधिवक्ता प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया ग्राम डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर की स्थाई निवासी एवं हाल राजोलाकलां तहसील सोजत का निवासी है। प्रार्थीया की कृषि भूमि खेत ख0नं0 570 रकबा 3.3200 है0 एवं ख0नं0 571 रकबा 3.6400 है0 वाके ग्राम राजोलाकलां, तहसील सोजत जिला पाली में खातेदारी व कब्जा काश्त की स्थित है। अप्रार्थी सं0 01 की भूमि ख0नं0 569 रकबा 2.1900 है0 प्रार्थीया के खेत की उत्तरी दिशां मे स्थित है। प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि के उपरोक्त खसरो के खेत के दिशा उत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 569 स्थित है, एवं अप्रार्थी के उक्त खेत के दिशा उत्तर में जोधपुर से सोजत जाने वाली मुख्य सड़क राज्य राजमार्ग संख्या 58 आया हुआ है। प्रार्थीया के उपरोक्त खसरों की भूमि में खेती कार्य के लिए आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा संख्या 569 की पूर्व दिशा की माठ के सहारे मुख्य सड़क से प्रार्थीया के खेत में आते जाते रहते थे, लेकिन एक वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीया को अपने खेत में खेती कार्य करने के लिए मुख्य सड़क की तरफ अप्रार्थी ने अपने खेत का धोरा/पाला देकर रास्ता रोक दिया। जिससे प्रार्थीया अपने खातेदारी कृषि भूमि में खेती कार्य के लिए आ जा नही सकती है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में खेती कार्य में आने जाने के लिए उक्त रास्ते की सख्त जरूरत है। रास्ते के बिना प्रार्थीया अपने खेत में कृषि कार्य नही कर पा रही है, जिससे मान्यवर न्यायालय के समक्ष कानूनी प्रावधानो के तहत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं0 01 के खेत ख0सं0 569 की पूर्व दिशा की माठ के सहारे प्रार्थीया के खेत में खेती कार्य करने हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता सार्वजनिक घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थीया उक्त रास्ते के रूप मे उपयोग आने वाली अप्रार्थी की भूमि के बदले जिला स्तरीय कमेटी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

द्वारा निर्धारित बाजार दर से राशि मान्यवर न्यायालय के आदेशानुसार अदा करने के लिए तैयार है। उक्त रास्ते का प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये गये रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत में जाने का अन्य रास्ता नही है। प्रार्थीया के खेत के नजदीकी रास्ता मात्र जोधपुर से सोजत जाने वाली सड़क है, जिससे अप्रार्थी के खेत की पूर्व दिशा की माठ के सहारे प्रार्थीया के खेत में जाने हेतु रास्ता घोषित किया जावे। इस प्रकार प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी भूमि मे आने जाने अर्थात आवामगन हेतु 30 फुट चौडा रास्ता दिये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता ने दि0 19.04.2017 को वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया तथा अप्रार्थी सं0 2 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर अनुपस्थित रहे हैं, एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 26.09.2017 अप्रार्थी संख्या 01 भंवरलाल की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया ग्राम डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर की स्थायी निवासी होना लिखा है, जो प्रार्थीया स्वयं साबित करे। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 570 रकबा 3.3200 है0, ख0सं0 571 रकबा 3.6100 है0 होना लिखा है जो प्रार्थीया दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। अप्रार्थी सं0 01 की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 569 रकबा 2.1900 हैक्टर लिखा है, जो सही है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि के उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 का खेत होना लिखा है, जबकि ख0सं0 568 व 567 भी प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के उतर में स्थित है। प्रार्थीया का यह लिखना कतई गलत हैं कि ख0सं0 570 में आवागमन हेतु ख0सं0 569 की पूर्व दिशा की माठ के सहारे सहारे मुख्य सड़क से आते जाते रहते हो। जबकि ख0सं0 567 व 568 के पूर्वी छोर की माठ मुख्य सड़क राजमार्ग सं0 58 से ख0सं0 570 की दूरी कम हैं, जबकि ख0सं0 569 के पूर्वी माठ के सहारे मुख्य सड़क से ख0सं0 570 की दूरी अधिक है। अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 569 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे न तो कभी रास्ता था और न ही रास्ता है। प्रार्थीया ख0सं0 567 व 568 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे कृषि भूमि में आवागमन करता है, जिसकी दूरी भी कम है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ख0सं0 568 व 567 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे ख0सं0 570 में आता जाता रहता है, ख0सं0 567 व 568 के खातेदार को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी ख0सं0 569 की पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे कतई रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नही है। विकल्पेन प्रार्थीया के खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 571 में दक्षिणी तरफ से एक रास्ता आता जाता है। जिसका उपयोग भी आवागमन के रूप में करते आ रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया कतई नया रास्ता कायम करवाने की अधिकारी नही है। प्रार्थीया ने बिल्कुल ही गलत एवं झूठा नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। प्रार्थीया के खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 570 व 571 में आवागमन का अन्य रास्ता ख0सं0 588 गैर मुमकिन रास्ता है। जिस रास्ते से प्रार्थीया एवं उसके प्रिसिंपल विक्रेता आवागमन के रूप उपयोग उपभोग करते रहते है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन का विकल्प में रास्ता है, इसलिये प्रार्थीया कतई नया रास्ता करवाने की अधिकारी नहीं है, प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

भूमि को मुख्य सड़क से जोड़ कर मात्र कृषि भूमि की बाजारू कीमत बढाने की नियत से रास्ते की मांग की जा रही है। विकल्पेन प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि में पहुँच का रास्ता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थिया कतई नया रास्ता ख0नं0 569 में से होकर कायम करवाने की अधिकारी नही है। इस प्रकार जबाब प्रा0पत्र पेश कर प्रार्थिया का प्रा0पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। मौके की वैकल्पिक/प्रार्थित रास्ते की वर्तमान वस्तु स्थिति मंगवाई जाना उचित मानते हुए तहसीलदार सोजत को प्रार्थित भूमि से निकटतम एवं पूर्व में वैकल्पिक रास्ते की दूरी/स्थिति की बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षो पटवारी, भू0अ0 निरीक्षक संबधित को साथ मे रखते हुए मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा रास्ते में जाने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर की सूचना मय भूमि की कीमत की वास्तविक गणना पश्चात देय भूमि प्रतिकर राशि की सूचना मंगवाई जाने हेतु तहसीलदार सोजत एवं उप पंजीयक सोजत को पत्रांक/कोर्ट/2016/1217—18 दिनांक 19.10.2016 के जरिए तहरीर जारी कर तथा स्मरण पत्रांक/कोर्ट/17/295 दि0 12.05.2017 द्वारा तहसीलदार सोजत को भेजी जाकर मौका रिपोर्ट चाही गई। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि जोत सरहद—मौजा राजोला कलां पटवार हल्का राजोलां कलां तहसील सोजत में स्थित ख0नं0 570 रकबा 3.3200 है0 एवं ख0नं0 571 रकबा 3.6400 है0 की जोत में नया मार्ग आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के ख0नं0 569 में से चाहा गया है, के सम्बन्ध में बरूवै रेकर्ड एवं मौका की जांच कर वैकल्पिक रास्ते/प्रार्थित रास्ते की तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि मय नजरी नक्शा एवं रेकर्ड प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2017/5890 दि0 02.05.2017 के जरिए न्यायालय हाजा द्वारा आपेक्षित मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, डी0एल0सी0 गणना पश्चात रिपोर्ट बरूए मौका रूबरू उपस्थिति पक्षकारान एवं मौतबिरान प्रस्तुत हुई, सामिल मिसल की गई। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रेस में (लाल स्याही सुदा) अनुसार मौका स्थिति हेतु हमराह पटवारी राजौला कलां व मौतबिरान के साथ मौजा राजौलाकलां के ख0नं0 570 व 571 के मौके पर पहुँच कर मौका निरीक्षण करने पर मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही होना तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम के नक्शा लठ्ठा ट्रेस में भी ऐसा कोई रास्ता दर्ज नही है। मौका स्थिति को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि उपरोक्त दोनो खसरों में जाने हेतु गांव की मुख्य सड़क (राजमार्ग सं0 58) से जाने के लिये ख0नं0 569 की पूर्वी माठ के सहारे—सहारे जाया जाए तो न्यूनतम दूरी आ रही है। अतः प्रार्थीया विद्यादेवी द्वारा किए गये आवेदन अनुसार इन उपरोक्त खसरो में जाने हेतु ख0न0 569 से रास्ता दिया जाना उचित दर्शाया है। ख0नं0 543 जो कि सड़क है से ख0नं0 560 तक ग्राम प्रतिहारी की सहायता से दूरी नापी गई जो कि 176 मीटर है तथा रास्ते की चौड़ाई 06 मीटर रखा जोवे तो आया जाया जा सकता है। अतः कुल रकबा 176 X 06 = 1056 वर्ग मीटर यानि 0.1056 है0 बनता है। यह खसरा 569/1 मुख्य सड़क SH-58 से सटा हुआ है। नजरी नक्शा में प्रस्तावित भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसे फर्द मौका रिपोर्ट का अभिन्न भाग माना गया है। इस प्रकार वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट मय देय डी.एल.सी. दर उप पंजीयन अधिकारी से प्राप्त की जाकर उसी अनुसार गणना मय देय मुआवजा राशि प्रतिकर की सूचना निर्धारित किया जाकर रास्ता दिये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 भॅवरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक 26.09.2017 पर उभय पक्षों को सुना गया। बाद विधिक सुनवाई कर प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उक्त प्रा0पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का दिनांक 03.10.2017 का स्वीकार किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व प्रेषित मौका रिपोर्ट अपूर्ण होने से तहसीलदार, सोजत को पुनः तहरीर पत्रांक/कोर्ट/17/295 दिनॉक 12.05.2017 जारी कर उनके पत्रांक/राजस्व/17/5890 दिनॉक 02.05.2017 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अपूर्ण होने से पुनः मौका जॉच कर पूर्वोक्त बिन्दुओ पर सम्पूर्ण रूप से पटवारी रिपोर्ट का परीक्षण कर स्वयं की रिपोर्ट मौका भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। न्यायालय हाजा पत्रांक/कोर्ट/17/11–12 दि0 06.11.2017 द्वारा डी0एल0सी0 दर अनुसार गणना की जाकर नियमान्तर्गत प्रार्थित भूमि से निकटतम दूरी व रास्ते की वास्तविक भूमि के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिशंषा/राय सहित रिपोर्ट चाही गई। पुनः मौका जॉच कर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दि0 11.12.2017 में ABCD नजरी नक्शा में दर्शित ख0नं0 570 व 571 की प्रार्थिया की खातेदारी कृषि जोत भूमि में आने जाने हेतु मुख्य सड़क स्टेट हाईवे सं0 58 से लगता (लिंक होता) हुआ 569 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे 6 मीटर चौड़ा व 176 मीटर लम्बा (176X 06 = 1056 वर्ग मीटर) 10.56 एयर में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थिया को दिया जाना उचित दर्शाया है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 11,870/– रूपये प्रति एयर की दर का दोगुणा प्रतिकर राशि से रास्ते में जाने वाली प्रस्तावित भूमि (176X 06 =1056 वर्ग मीटर) 10.56 एयर की राशि 10.56 X 11870 = 1,25,350X2=2,50,700 रूपये अप्रार्थी को देय प्रतिकर से प्रस्तावित रास्ता प्रार्थिया को दिया जाना उचित दर्शाया है। दि0 08.01.2018 को प्रस्तुत धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रा0पत्र अधिवक्ता अप्रार्थी वास्ते ख0नं0 570 में आवागमन हेतु ख0नं0 567 व 568 में से होकर रास्ते के नाम की रिपोर्ट पुनः मंगवाने का पेश किया जिसका जवाब अधिवक्ता प्रार्थी पेश करना नहीं चाहने से जबाब बन्द किया गया।

बहस प्रा0पत्र अधिवक्ता प्रार्थीया अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 की सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 568 व 567 मे जाने हेतु ख0 नं0 569 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता आने जाने अर्थात आवागमन हेतु उक्त वस्तुस्थिति रास्ते की भूमि रास्ते के रूप में उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक है। उक्त भूमि रास्ते के रूप में अन्य रास्ता उपलब्ध न होने से आत्यंतिक आवश्यकता हैं तथा वैकल्पिक साधन का अभाव तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दि0 17.04.2017 एंव 11.12.2017 से भी बखूबी प्रमाणित है, जिससे प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने तथा ख0नं0 570 व 571 में आने जाने हेतु मुख्य स्टेट हाईवे सं0 58 से ख0नं0 569 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे 6 मीटर चौड़ाई तथा 176 मीटर लम्बा अर्थात 1056 वर्गमीटर = 10.56 एयर क्षेत्रफल रास्ते की भूमि उपलब्ध करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जबकि बहस के जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थी सं01 ने दि0 08.01.2018 को धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, जबाब प्रा0पत्र, मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनॉक 17.04.2016, पुनः जॉच कर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दि0 11.12.2017 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 प्रा0 पत्र दिनांक 08.01.2018 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत उक्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शां में पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती मौका रिपोर्ट के भिन्न तथ्य नही होकर एक समान तथ्य पाये गये एवं प्रस्तावित रास्ते की भूमि आवागमन हेतु प्रार्थीया को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का खारिज योग्य पाये जाने से खारिज किया जाता है। यहां सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जहां कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता हैं, या किसी विध्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता हैं तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि :–" (i) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु नये मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0एक्ट 1955 का विधिसम्मत् होने से स्वीकार किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को मौका रिपोर्टानुसार ख0नं0 570 व 571 की प्रार्थिया की खातेदारी कृषि जोत भूमि में आने जाने हेतु मुख्य सड़क स्टेट हाईवे सं0 58 से लगता (लिंक होता) हुआ 569 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे 6 मीटर चौड़ा व 176 मीटर लम्बा (176X 06 = 1056 वर्ग मीटर) 10.56 एयर में प्रस्तावित रास्ता ए, बी, सी, डी दर्शित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 11,870/– रूपये प्रति एयर की दर का दोगुणा प्रतिकर राशि से रास्ते में जाने वाली प्रस्तावित भूमि (176X 06 =1056 वर्ग मीटर) 10.56 एयर की राशि 10.56 X 11870 = 1,25,350X2=2,50,700 रूपये अप्रार्थी को देय प्रतिकर से प्रस्तावित रास्ता प्रार्थिया को दिया जाना उचित समझते है। साथ ही बतौर संदेय प्रतिकर के रूप में अप्रार्थीगण/वर्तमान खातेदारान को जरिये डी.डी. भुगतान करवाकर राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद/राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि सरहद मौजा राजोलाकलां तहसील सोजत में स्थित ख0नं0 571 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि जोत भूमि ख0नं0 570 व 571 की भूमि में मुख्य सड़क स्टेट हाईवे सं0 58 से लगता (लिंक होता) हुआ 569 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे 6 मीटर चौड़ा व 176 मीटर लम्बा (176X 06 = 1056 वर्ग मीटर) 10.56 एयर में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थिया को दिया जाना उचित दर्शाया गया है, जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 11,870/– रूपये प्रति एयर की दर का दोगुणा प्रतिकर राशि से रास्ते में जाने वाली प्रस्तावित भूमि (176X 06 =1056 वर्ग मीटर) 10.56 एयर की राशि 10.56 X 11870 =

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

1,25,350X2=2,50,700 रूपये अप्रार्थी को देय प्रतिकर से प्रस्तावित रास्ता प्रार्थिया को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा अप्रार्थी सं01/वर्तमान खातेदारान को जरिये डी.डी. भुगतान करवाकर राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद/राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग/उपभोग में ली जायेगी। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय, मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की छाया प्रति भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)